न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 86/2020 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र स्व.श्री शेरसिंह यादव,निवासी 34 अल्कापुरी ए मुरलीपुरा जयपुर, प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग

GCMS No-2020/00181

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
12.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(218) सूकाअ/2020/3217 दिनांक 28.10.2020 द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि माननीय जिला कलेक्टर (पंजीयन) सवाईमाधोपुर का कार्यालय पत्रांक पंजीयन/विविध/2019/1167 दिनांक 12.6.20 व 1168 दिनांक 12.6.20 एवं 1189 दिनांक 29.5.20 तथा तहसीलदार खण्डार का कार्यालय पत्रांक पंजीयन 2020/284 एवं 285 दिनांक 18.6.20 मय संलग्नक एवं जिला कलेक्टर (पंजीयक) को प्रेषित मेरा प्रार्थना पत्र एवं परिवाद दिनांक 19.6.2020 एवं 9.6.2020 की प्रमाणित प्रति एवं उस परिवाद पर लिये गये निर्णय एवं जारी पत्र तहसीलदार खण्डार की प्रमाणित प्रति मय विक्रय पत्र दिनांक 9.7.2008 एवं 18.10.2007 बाबत क्रमश सेटा उर्फ शेर सिंह द्वारा कंचन गुर्जर तथा कंचन गुर्जर द्वारा शशिबाला पत्नि आजाद सिंह जाट के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र मय चैक लिस्ट तथा मा. एसीजेएम न्यायालय के आदेश निर्णय दिनांक 23.1.2013 की प्रति मा0 न्यायालय का पत्र दिनांक 21.5.2014 की पालना में दिनांक 23.5.2014 को पंजीकृत विक्रय पत्र मय चैक लिस्ट एवं संलग्नक एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा मा0 न्यायालय एवं अधिवक्ता राजेश सैनी के कानूनी नोटिस दिनांक 6.6.2013 को प्रेषित जवाब की प्रति मय प्राप्ति एवं प्रेषित दिनांक की प्रति।
2. यह है कि दिनांक 21.10.2020 को ख0न0 172 के संबंध में मांगीलाल उर्फ मांग्या पुत्र लडडू जाट की वाके ग्राम दौलतपुरा तालाब की जमीन के अतिक्रमण बाबत जारी 91 एलआर एक्ट के नोटिस तथा मौका रिपोर्ट मय खसरा परिवर्तनशील की रिपोर्ट मय पटवारी एवं गिरदावर की मय लिये गये निर्णय दिनांक 21.10.2020 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति तथा रबी फसल की 2019–2020 की 91 एलआर एक्ट की मूल पत्रावली की प्रति।
3. यह है कि दिनांक 21.10.2020 को ख0न0 739/530 व 800/530 ग्राम दौलतपुरा गैर मु. तलाई की जमीन बाबत 91 एलआर एक्ट मय रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर मय खसरा परिवर्तन शील तथा दिनांक 21.10.2020 को किये गये निर्णय मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति बाबत रामचरण, रामजीलाल एवं जगदीश पुत्र लडडू गुर्जर बाबत ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के बाबत।
4. यह है कि सिवायचक ख0न0 362/1 व अन्य ग्राम राजस्व कटार बाबत रामचरण उर्फ मोटा पुत्र लडडू गुर्जर निवासी दौलतपुरा के विरूद्ध दिनांक 28.9.2020 को की गयी कार्यवाही बाबत 91 एलआर एक्ट के नोटिस की मौका रिपोर्ट गिरदावर/पटवारी मय खसरा परिवर्तनशील मय निर्णय मय आदेश सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

5. यह है कि उक्त सिवायचक ख0न0 362/[illegible] व अन्य बाबत दिनांक [illegible]2020 की धारा 91 एलआर.एक्ट की कार्यवाही बाबत जारी गिरफ्तारी वारण्ट एवं उसके बाद पुनः जारी समस्त गिरफ्तारी वारण्ट मय पूर्ण पत्रावली एवं कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक राजस्व/2020/1269 दिनांक 23.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 2,3,4,5 की सूचना के लिए राशि जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/2020/1066 दिनांक 3.11.2020 व 1084 दिनांक 11.11.2020 से लिखा जाने पर दिनांक 12.11.2020 को 140/—रू का भा.पो. आर्डर बतौर शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक 1092 दिनांक 20.11.2020 से अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ भिजवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 01 पर पंजीयन से संबंधित चाही गयी सूचना के लिए चाही गयी शुल्क राशि 690/—रू आवेदक द्वारा जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 1 की सूचना कुल 12 पृष्ठों के लिए अपीलान्ट को 24/—रू शुल्क जमा करवाने बाबत प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग के पत्रांक कोर्ट/रीडर/2020/2987 दिनांक 13.11.2020 से लिखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा करवाये जाने पर प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक/प्रतिलिपि अनु./2020/416 दिनांक 22.12.2020 से अपीलान्ट को 12 पृष्ठों की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की आंशिक सूचना (पंजीयन रिकार्ड) को छोडकर शेष सभी बिन्दुओं की सूचना तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 1 पर पंजीयन रिकार्ड से संबंधित चाही गयी सूचना के लिए 690/—रू जमा नही करवाये गये है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय की पंजीयन रिकार्ड से संबंधित सूचना के लिए वांछित शुल्क 690/—रू जमा करवाकर सूचना तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर